

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
------------------------	--------------------------------------	--

3-5-18

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री धना रत्न ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा धारा 156 2R राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक.....को पेश हो।

प्रार्थी धनाराम पुत्र अनाराम नेहरू प्राधिका पेश कट निवेदन किया कि हमारा संयुक्त खेत श्वेत ग्राम गोरखधाम पञ्चर डल्का तालाबरा मठ में खेत ख. नं. 97 ख. नं. 1110 बीघा का अध्यादेश है। जिसमें बागा के फौज होने पर फौजों मानान्तान सं-400 इशरा, लूना, निमा ग्रंथरा पिठ बागा, धना पुत्र माना के नाम खेकृत हुआ जबकि जमानदी सन्वत 2073-76 का जमल दरामद कति वक्त भेशा नाम हूट गया। जब जमानदी में नाम जोड़ने की इस्त हुआ चारही। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र की तहसिलदार चौहल से मजमे आम में जांच कराई गई। तहसिलदार चौहल में जांच रिपोर्ट पेश की। मौजा गोरख धाम के खेत ख. नं. 97 के सभी खेतदार कैम्प केर में उपस्थित कट निवेदन किया कि हमारा खेतदारी

श. निधन /
श्री. कपा
श्री. गुला
श्री. कशारा
केवलाराम
इंगराराम
श्री. हजव
श्री. अ
श्री. अ
श्री. अ
सहायक कलेक्टर
चौहल

श्वेत मौजा गोरख धाम में ख.नं. 97 का धारा है
जिसमें धनाराम पुत्र मानाराम का नाम मूलवश
धुलाया था कि व जमाबंदी में धनाराम पुत्र मानाराम
का नाम जोड़ दिया जाये तो हम सभी सह
खाते दर सहमत तथा हमें कोई एव शर्त नहीं है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्राप्ति पत्र, तहसीलदार चौखंड
से प्राप्त जॉय का अध्ययन व अवलोकन किया गया।
नामानाग सं-पण का अध्ययन करने से पाया कि
नामानाग सं-पण में धनाराम का नाम था
जोकि जमाबंदी जमाबंदी सन् 2013-16 का
अमल दरामद करते समय धनाराम का नाम छूट
गया जो कि मानवीय भूल प्रतीत होता है। अतः
आम प्रस्ताव से जो यह जाहिर हुआ कि धनाराम
का जमाबंदी जो नाम धारा वर मूल से छुटा है।
अतः उक्त प्रमाण को लिफ्टीय छुटे मानते हुए
मौजा गोरख धाम, पटवार क्षेत्र नारायण मठ
के श्वेत ख.नं. 97 रफवा 71.10 बीघा में
त्रुथि वंश छुटे हुए नाम धनाराम पुत्र मानाराम
का नाम जोड़ते हुए जमाबंदी में अमल दरामद
करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार
तहसीलदार चौखंड की राजस्व रेकर्ड में अमल
दरामद वियोजना के आदेश दिये जाते हैं।
पत्रावली फल शुभार होकर वास्तव्य अपत्र हो

सहायक कलेक्टर
चौखंड